

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 103/2017

बउनवान

जयलाल आयु 60 साल पुत्र श्री छोटूलाल जाति-गूर्जर निवासी-रारोती
तहसील व जिला-बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ज्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री योगेश गुर्जर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक-25.04.2018



अपीलांट ने जर्ज्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के
दिनांक 25.5.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व
अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ
न्यायालय ने उसे ग्राम-रारोती, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 325, 378
रकबा 1.64 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 820/-रूपये अर्थदण्ड एवं
90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून
एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ
न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र
साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित
आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि
बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का
निर्णय दिनांक 25.5.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ज्ये सम्मन
तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख
प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों
को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व
जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित
आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ रखा है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त सरकार है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 488/12 निर्णय दिनांक 09.04.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 488/12 निर्णय दिनांक 9.4.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 706/165 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)